न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 51/2011

1. प्रकाश | पुत्रान् कालू, नाबालिग जरिये वली माँ
2. गणेश | श्रीमती सरजू देवी पत्नी कालू
3. सरजू देवी पत्नी स्व. कालू, जाति नायक, निवासी पहाडिया, तह. फागी, जिला जयपुर।

वादीगण

विरूद्ध

1. तहसीलदार फागी, तह. फागी, जिला जयपुर
2. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक :– 14.7.17

प्रकरण के संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण स्व. कालू के वारिसान है तथा कालू की आवंटनशुदा आराजी वाके ग्राम पहाडिया, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है। स्व. कालू को खसरा नम्बर 1216/2 रकबा 8 बीघा भूमि दिनांक 20.09.1978 को वाके ग्राम पहाडिया, तह. फागी, जिला जयपुर में आवंटन हुई थी तथा आवंटन के पश्चात स्व. कालू के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज हुआ जो अभी तक चला आ रहा है। स्व. कालू का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वादीगण के नाम नामान्तकरण खुल गया है लेकिन वर्ष 1978 से अब तक गैरखातेदारी का राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। वादीगण निरन्तर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

1 से सम्पर्क करते रहे तथा गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने की प्रार्थना करते रहे है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा टालमटोल करते रहे तथा अभी हाल ही में दिनांक 09.06.2011 को प्रतिवादी के पास गये तो प्रतिवादी संख्या 1 ने यह कहकर मना कर दिया कि आपके भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आ गई है इसलिये अब मान्य न्यायालय द्वारा ही गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावेंगे। गैरखातेदारी को खातेदारी अधिकार देने के लिये राज्य सरकार को 12 वर्ष की समयावधि में स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया जाना चाहिये तथा तहसीलदार स्वप्रेरणा से 3 वर्ष के अन्दर भी खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकता है जो राज्य सरकार के द्वारा पारित भिन्न परिपत्र जारी किये गये है। प्रार्थीया जो अनुसूचित जाति की महिला है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कई बार चक्कर लगा चुकी है जिससे वादीनी को न्याय मिलने में संशय उत्पन्न हो गया है जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 06.06.2011 को खातेदारी अधिकार देने से मना किये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना लाजमी आया है। प्रतिवादीगण जो राज्य सरकार के प्रतिनिधी है तथा राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायरी से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आावश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया हुआ है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद की सुनवाई का श्रीमान् को न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीगण का वाद बाबत् घोषणा हेतु 2/–रू. के कोर्ट फीस स्टाम्प पर प्रस्तुत है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त है। <u>वादीगण/प्रार्थीगण</u> है कि :– वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इस अमर का फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1216/2 रकबा 8 बीघा जमीन का खातेदार घोषित किया जावे। पालनार्थ रिपोर्ट तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

फागी को भिजवाया जाना अमल दरामद हेतु लिखा जावे। खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो न्यायहित में वादीगण के हक में हो प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब दावा बंद किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। सरकार पैरोकार ने अपने जवाब दावे में निवेदन किया कि ग्राम पहाडिया के आराजी खसरा नम्बर 1216/2 रकबा 8 बीघा कालू पुत्र देवीलाल, जाति नायक के नाम 8 बीघा भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 09.09.1978 को मु. रेनवाल आवंटन की गई थी जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 692 दिनांक 22.09.1978 के द्वारा आवंटन को गैर खातेदारी दी गई थी आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान वादीगण के नाम विरासत अंकित की गई थी जो वर्तमान रिकार्ड में गैर खातेदारी के रूप में अंकित है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व रिकार्ड के अनुसार आवंटी द्वारा कुछ रकबे पर काश्त भी की है मौके पर वादीगण को आवंटित खसरा नम्बर के मध्य में डामर सडक बनी हुई है जिसको आवंटी का खसरा नम्बर दो भागों में विभाजित हो गया है नियमानुसार वर्तमान में गैरखातेदारी तीन वर्ष कर लेने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है आवंटन को करीब 37 वर्ष पूर्ण हो चुके है। पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 में वादीगण का कब्जा काश्त बताया है जिसको रिकार्ड पर लिया जाकर कायमी तनकीयात की जाकर साक्ष्य शपथ पत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

पत्रावली लोक अदालत राजस्व केम्प कोर्ट में पेश होने पर बहस वकील उभय पक्ष एवं सरकारी पैरोकार की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने

वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजीयात वादीगण के पिता को राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन काश्तकार एवं अनुसूचित जाति का सदस्य होने से आवंटन हुई है उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में दिनांक 22.09.1978 को खुला है एवं वादीगण के पिता के देहान्त के पश्चात वादीगण के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण विधिवत खोला गया है उक्त आराजीयात पर वादीगण आवंटन के समय से ही काबिज काश्त है उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी से वादीगण का कब्ज काश्त बखूबी साबित है प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है एवं वादीगण का उक्त आराजीयात पर पटवारी हल्का द्वारा समक्ष गवाहान की रिपोर्ट मंगवाई जाकर कब्जा काश्त माना है उक्त आराजीयात जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के अधीन आने से पूर्व ही वादीगण को अलॉटमेन्ट होकर गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है इसलिये वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। उक्त वाद के समर्थन में वादीगण अधिवक्ता द्वारा कानूनी नजीरे प्रस्तुत की है (आर.बी.जे 2013 पेज नं. 143 एवं पेज नं. 205)

उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली व प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता को दिनांक 09.9.1978 को आवंटन होकर नामांतकरण संख्या 692 दिनांक 22.09.1978 को आवंटी के गैर खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया है। ग्राम पहाडिया के आराजी खसरा नम्बर 1216/2 रकबा 8 बीघा कालू पुत्र देवीलाल, जाति नायक के नाम 8 बीघा भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 09.09.1978 को मु. रेनवाल आवंटन की गई थी जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 692 दिनांक 22.09.1978 के द्वारा आवंटन को गैर खातेदारी दी गई थी आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान वादीगण के नाम विरासत

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अंकित की गई थी जो वर्तमान रिकार्ड में गैर खातेदारी के रूप में अंकित है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व रिकार्ड के अनुसार आवंटी द्वारा रकबे पर काश्त भी की है मौके पर वादीगण को आवंटित खसरा नम्बर के मध्य में डामर सडक बनी हुई है जिसको आवंटी का खसरा नम्बर दो भागों में विभाजित हो गया है नियमानुसार वर्तमान में गैरखातेदारी तीन वर्ष कर लेने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है आवंटन को करीब 37 वर्ष पूर्ण हो चुके है। अर्थात् वादी उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में Notified होने से पूर्व ही गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु योग्य हो चुका था। पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 में वादीगण का कब्जा काश्त बताया है पटवारी हल्का द्वारा जाँच रिपोर्ट में स्व. कालू के प्रकाश व गणेश दो पुत्र होना स्वीकार किया है। खसरा परिवर्तनशील खसरा गिरदावरी एवं वादीगण के साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त बखूबी साबित है लोक अदालत की भावना एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं. 1216/2 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम पहाडिया, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो पालना बाबत् तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2017 को फॉलोअप केम्प में सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जि. जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम फागी, जिला जयपुर।

इजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

1. प्रकाश | पुत्रान् कालू, नाबालिग जरिये वली माँ
2. गणेश | श्रीमती सरजू देवी पत्नी कालू
3. सरजू देवी पत्नी स्व. कालू, जाति नायक, निवासी पहाडिया, तह. फागी, जिला जयपुर

<u>विरूद्ध</u>

1 तहसीलदार फागी, तह. फागी, जिला जयपुर

2 सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जिला जयपुर

मुकदमा नं. 51/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनेफिसाल कतई रूबरू सावन कुमार चायल आर.ए.एस. ने हाजिरी श्री नारायण सहाय पारीक वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू श्री प्रेमचन्द शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं. 1216/2 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम पहाडिया, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है निज .....मुबलिग ..... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दस्तखत

ओहदा मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुददयलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प अर्जा दावा		
स्टाम्प वकालतनाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान	Nil		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	Nil	
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)